कार्यालय अंचल अधिकारी, बुढ़मू, राँची।

आदेश–पत्रक

अनुसूची......फॉर्म सं०–........ (देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रांक ....तारीख.............से.................. तक ....जिला राँची

केस का प्रकारः– विविध–वाद वाद सं०– 03/2023–2024

आदेश और तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर मटन महतो, s/o – स्व० भुटका महतो, तुरमुली, ठाकुरगाँव, राँची।	आदेश पर की ग कारवाई के बारे टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
24/01/24	इस वाद की कार्यवाही मटन महतो, पिता– स्व० भुटका महतो, माता स्व० सुगिया देवी निवासी ग्राम– तुरमुली, पोस्ट– तुरमुली, थाना– ठाकुरगाँव, जिला– राँची द्वारा दिनांक– 16.05.2023 को दिये आवेदन से प्रारंभ हुई। आवेदक ने दिनांक– 16.05.2023 को अंचल कार्यालय, बुढ़मू में आवेदन देकर कहा है कि बुढ़मू अंचल अन्तर्गत मौजा– सुमु, थाना सं०– 27 के खाता सं०– 88, 38 के विभिन्न प्लॉटों के कुल रकबा– 9.29 एकड़ भूमि पंजी ॥ में सुगिया देवी के नाम दर्ज था। परन्तु पंजी ॥ में छेड़–छाड़ कर दाखिल–खारिज वाद सं०– 306 आर 27/2005–2006 के आधार पर करम महतो व धरम महतो व शरमा महतो सभी के पिता गोवरधन महतो का नाम दर्ज कर दिया गय है। आवेदक ने पूर्व पंजी ॥ रैयत सुगिया देवी के नाम से पुनः रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने की माँग की गई। प्रथम पक्ष दिनांक– 07.07.2023 को कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये– 01. सुगीया देवी के नाम से निर्गत लगान रसीद सं०– 431651 दिनांक– 22.07.1997, रसीद सं०– 5026332 दिनांक– 14.03.2010 की छायाप्रति। 02. विपक्षी के नाम कायम ऑनलाईन पंजी ॥ एवं निर्गत रसीद की छायाप्रति। 03. दिनांक– 31.05.2013 पत्रांक 261(ii) द्वारा अंचल कार्यालय द्वारा सूचना अधिकार के तहत उपलब्ध कराई गई सूचना की छायाप्रति। 04. पट्टा केंसलनामा (रद्दीयत नामा) संख्या– 8250, दिनांक– 11.10.1993 जिसके द्वारा डीड सं०– 7498, दिनांक– 18.08.93 को रद्द कर दिया गया है। (छायाप्रति) आवेदक (प्रथम पक्ष) का कहना है कि विपक्षी ने बगैर दाखिल–खारिज कराए केवल डीड सं०– 7498, दिनांक– 18.08.1993 के आधार पर पंजी ॥ में फर्जी तरीके से नाम दर्ज करा लिया है, जो गलत है। विपक्षी डीड सं०– 7498 दिखाते हैं जो दिनांक– 11.10.1993 को रद्द किया जा चुका है।	

CO.
24/01/24

द्वितीय पक्ष के शर्मा महतो व करमा महतो दिनांक– 07.07.2023 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे एवं अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये –

01. दाखिल–खारिज वाद सं०– 306R27/2005–2006 के शुद्धिपत्र की छायाप्रति।

02. रजिस्ट्री डीड सं०– 7498, दिनांक– 18.08.1993 की छायाप्रति।

03. रसीद सं०– 2098240, दिनांक– 28.03.2008 की छायाप्रति।

04 रसीद सं०– 5026269, दिनांक– 28.07.2010 की छायाप्रति।

05 रसीद सं०– 5136064, दिनांक– 2011–2012 तक रसीद सं०– 2043208, दिनांक– 30.10.2012, रसीद सं०– 2049946, दिनांक– 03.12.2013, रसीद सं०– 048656 की छायाप्रति।

06 ऑनलाइन रसीद सं०– 0426307959, दिनांक– 20.05.2023 की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि कर्मा महतो, धर्मा महतो व शरमा महतो पिता– गोवर्धन महतो की खरीदगी भूमि है। वे भूमि पर दाखिल–खारिज कराकर, साल–दर–साल लगान भुगतान करते आ रहे हैं। भूमि पर उनका शांतिपूर्ण दखल–कब्जा प्रारंभ से रहा है। अतः आवेदक के आवेदन पर कोई कार्रवई नहीं की जाए।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। प्रतिवेदित किया गया है कि –

"मौजा– सुमु अंतर्गत खाता सं०– 88, 38 रकबा क्रमशः 1.91 एकड़ एवं 37.75 एकड़ एकड़ भूमि आर० एस० खतियान में नान्हु महतो वगैरह जाति कुरमी दर्ज है। राजस्व पंजी ॥ के अनुसार भाग सं०–॥, पृष्ठ– 110 पर खाता सं०– 88, 38 रकबा– 9.19 एकड़ भूमि सुगिया देवी व कुमनी देवी, पिता दशई महतो के नाम दर्ज है, पंजी ॥ में पूर्ण बिक्री अंकित है। भाग सं०–॥, पृष्ठ– 139 पर खाता सं०– 88, 38 रकबा– 9.19 एकड़ भूमि की जमाबंदी करमा महतो, शरमा महतो, धरमा महतो, पिता– गोवर्धन महतो के नाम दर्ज है। भूमि पर करमा महतो वगैरह (पंजी ॥ रैयत) का दखल–कब्जा है।"

आवेदक (प्रथम पक्ष) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अंचल के दस्तावेज/अभिलेख एवं राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रथम पक्ष की माता सुगीया देवी वगैरह के नाम से पंजी ॥ में जमाबंदी कायम थी। दाखिल–खारिज वाद सं०– 306R27/2005–2006 के आधार पर सुगीया देवी वगैरह के जमाबंदी को विलोपित कर भाग सं०–I, पृष्ठ– 139 में विपक्षी करमा महतो वगैरह के नाम से पंजी ॥ संधारित की गई है। डीड सं०– 7498, दिनांक– 18.08.1993 के आधार पर दाखिल–खारिज किया गया है। परन्तु आवेदक द्वारा कैंसलनामा डीड सं०– 8250, दिनांक– 11.10.1993 प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा डीड सं०– 7498, दिनांक– 18.08.1993 को रद्द कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी की पंजी ॥ में जमाबंदी रद्द

24/01/24

CS CamScanner

डीड के आधार पर संधारित की गई है। पंजी ॥ के भाग सं॰– ..... पृष्ठ सं॰– ..... में विपक्षी के नाम संधारित जमाबंदी संदेहाष्पद एवं रद्द करने योग्य है। भूमि पर विपक्षी का ही दखल–कब्जा है। आवेदक दाखिल–खारिज अपील वाद दायर करें अथवा जमाबंदी रद्द करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

Digitally signed by SHANKAR KUMAR VIDYARTHY
Date: 2024.02.08 13:10:53 +05:30
Location: 192.168.148.187

CamScanner